भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A NAVRATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA)
CONCOR ANNEXE, NBCC New MDBP Building, 3rd Floor, Okhla Indl. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-110020

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य के लिए निविदा की दो पैकेट प्रणाली में ई–निविदा आमंत्रित करता है:–

निविदा संख्या	CON/AREA-III/ENGG/VIZAG/E-46663/2025-26
कार्य का नाम	एमएमएलपी विजाग में आरओएच सुविधा और संबद्ध कार्यों के लिए सीसी फुटपाथ, गोदाम और सिक–लाइन शेड के विकास का निर्माण
अनुमानित लागत	रु. 5153.52 लाख (जीएसटी सहित)
पूर्ण होने की अवधि	18 (अट्ठारह) माह
बयाना राशि जमा	रु. 27,26,800/– (सत्ताईस लाख छब्बीस हजार आठ सौ रुपये मात्र)
निविदा दस्तावेज की लागत (गैर–वापसी योग्य)	शून्य
निविदा प्रसंस्करण शुल्क (गैर–वापसी योग्य)	रु. 3540/– (ई–भुगतान के माध्यम से सभी करों और शुल्कों सहित)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	08.05.2025 (15:00 बजे से) से 28.05.2025 (17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और समय	29.05.2025 17:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि और समय	02.06.2025 15:00 बजे

विशेष पात्रता मानदंड, समान प्रकृति के कार्य के संबंध में अनुभव आदि के लिए, कृपया वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें, लेकिन पूरा निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, इस निविदा के लिए शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो केवल www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/CCIL और केंद्रीय खरीद पोर्टल (CPP) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक (परियोजना), दूरभाष: 011–41222500

प्रपत्र संख्या यूआरसी–2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना देने का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार)

1. एतद्द्वारा सूचना दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड 122050 को एक आवेदन किया गया है कि यशवर्धन फूड इंडस्ट्रीज नामक एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय के के भाग के के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाये।
2. **कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:**
क. कृषि, खेती और कृषि के सभी शाखाओं में व्यापार करना और फसलों, बीजों, फलों, सब्जियों, अनाज, खाद्य नट्स जैसे बादाम, काजू, हेजलनट्स आदि और मिट्टी के सभी प्रकार के संबंधित उत्पादों और उप–उत्पादों का उत्पादन, उगाना, पैदा करना, खरीदना, बेचना, आयात करना, निर्यात करना या अन्यथा व्यापार करना या व्यवहार करना, चाहे वह निर्मित रूप में हो या अन्य रूप में।
ख. भारत और विदेशों में सब्जियों, फलों, खाद्य नट्स, फास्ट फूड, पैक्ड खाद्य उत्पादों, स्वास्थ्य और आहार पेय पदार्थ, कन्फेक्शनरी आइटम, मिठाई, अनाज उत्पादों और विभिन्न अन्य कृषि उत्पादों के साथ सभी बीजों को सभी रूपों में, चाहे वह कच्चे रूप में हो, ताजा, निर्जलित, जमे हुए, सूखे, संसाधित या किसी अन्य रूप में, खेती, विनिर्माण, संरक्षण, पैकिंग, कैनिंग, सुखाने, फ्रीजिंग, निकालने, बॉटलिंग, तैयारी, व्यापार, विपणन, आयात, निर्यात, सुधार, उत्पादन, प्रसंस्करण, तैयारी, खरीद, विक्रीतथा व्यवसाय करना।
ग. पूरे भारत या कहीं और खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री, विपणन और वितरण के व्यवसाय की स्थापना करना, चलाना, प्रबंधित करना, संचालित करना और फ्रेंचाइजी देना।
3. प्रस्तावित कंपनी के ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मसौदा की एक प्रति ई–37, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015 स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचना दिया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में रजिस्ट्रार केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड 122050 को, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उसकी एक प्रति के साथ भेज सकता है।

दिनांक 7 मई, 2025

आवेदकों के नाम
1. श्री प्रवीण गोयल
2. श्री यशवर्धन गोयल
3. श्री महेश चंद्र गोयल

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

सलवान पोल्येस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन: U74899DL2001PTC109452)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: डी–III/3402, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए **मंगलवार, 06 मई 2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (पार्षद सीमा नियम) में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निदेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

डी–III/3402, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
सलवान पोल्येस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
कमल शर्मा (निदेशक)
डीआईएन: 00666391

दिनांक: 08.05.2025
स्थान: नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

टी.ए. सं. **81/2024** दिनांक **24.01.2025**

केनरा बैंक ....आवेदक

बनाम

नांगिया कंस्ट्रक्शन एवं इंटीरियर और अन्य ....प्रत्यार्थी

सेवा में,
प्रतिवादी
डी1. मैसर्स नांगिया कंस्ट्रक्शन एवं इंटीरियर इसके मालिक विनय नांगिया के माध्यम से सी–26, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–65 और – 182/183 गली रूई वाली तेलीवाडा सदर बाजार दिल्ली –06, और 260 गली नं. 22 शहीद भगत सिंह कॉलोनी वेस्ट करावल नगर दिल्ली
डी2. विनय नांगिया पुत्र श्री आई. डी. नांगिया सी–26, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–65, और – 182/183 गली रूई वाली तेलीवाडा सदर बाजार दिल्ली –06, और 260 गली नं. 22 शहीद भगत सिंह कॉलोनी वेस्ट करावल नगर दिल्ली–94

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये **48,83,695/– (रुपये अड़तालीस लाख तिरासी हजार छः सौ पिचानवे)** की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 27.05.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे** माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, बाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भौतिक के माध्यम से लिया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए –
(i) सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;
(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/ रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की जगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT के ऑफिशियल पोर्टल अर्थात drt.gov.in की दैनिक वाद की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा।
(iii) किसी भी जानकारी हेतु एडवोकेट्स/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन **23748478** पर संपर्क कर सकते है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **24 जनवरी 2025 को दिया गया।**

प्राधिकरण के आदेशानुसार,
अनुभाग अधिकारी, डीआरटी–II, दिल्ली

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(CIN:067110MH2006PLC305312)

पंजी. कार्यालय: वन इंटरनेशनल सेंटर, टावर–1, चौथी मंजिल, एस. बी. मार्ग, एलफिंस्टन रोड, मुंबई–400013, दूरभाष: (022) 61891877 फैक्स: (022) 61899001
कार्पा. कार्यालय: प्लॉट नंबर 108, 5वीं मंजिल आईटी पार्क, उद्योग विहार, चरण I, गुरुग्राम– 122016 हरियाणा टेलीफोन/फैक्स: (0124) 6685800

डिमांड नोटिस
(प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस की गठित सेवाएं

उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों को एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने एसाइनर **इंडसइंड बैंक लिमिटेड** से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार असाइनर बैंक (**इंडसइंड बैंक लिमिटेड**) की पुस्तकों में नीचे विस्तृत विवरण अनुसार "नॉन–परफॉर्मिंग एसेट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, **इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने 14 जुलाई, 2020 को सब रजिस्ट्रार, मुंबई के साथ विधिवत पंजीकृत असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30 मार्च, 2020 के तहत इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इंडियाबुल्स एआरसी–XIV ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना)** को ऋण खाता सौंपा, इंडियाबुल्स एआरसी के अधिकृत अधिकारी ने उक्त उधारकताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत 02 **मई**, 2025 को डिमांड नोटिस जारी किया, जिससे उन्हें उक्त मांग नोटिस में बताए गए अनुसार उक्त राशि और आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज सहित बकाया राशि का पूरा भुगतान करने की मांग की गई। हालाँकि, उक्त नोटिस सभी पक्षों को नहीं दिया जा सका और इसलिए हमारे द्वारा इस प्रकाशन के माध्यम से सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार सेवा की जा रही है।

खाते का नाम और कर्जदार के पते	एनपीए की तिथि/ नोटिस की तिथि	ऋण खाता सं./ को बकाया
1. मेसर्स एहसास फिलिंग स्टेशन (उधारकर्ता) अपने भागीदारों के माध्यम से: मुनीश मित्तल, कविता मित्तल खसरा नंबर 17//72/2 मेन खेवड़ा रोड, बहालगढ़ सोनीपत–131021, 2. **मुनीश मित्तल (सह–उधारकर्ता) पुत्र सुशील रतन मित्तल**, फ्लैट नंबर एफ–247, 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर डी 3, सेक्टर 14 एक्सटेंशन रोहिणी पश्चिम नई दिल्ली–110085, 3. **श्रीमती कविता मित्तल (सह–उधारकर्ता) पत्नी मुनीश मित्तल**, फ्लैट नंबर एफ–247, 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर डी 3, सेक्टर 14 एक्सटेंशन रोहिणी पश्चिम नई दिल्ली–110085, 4. **श्रीमती कांता रानी मित्तल (सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता) पत्नी सुशील रतन मित्तल**, फ्लैट नं. एफ–247, 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्लॉट नं. डी 3, सेक्टर 14 एक्सटेंशन रोहिणी पश्चिम नई दिल्ली–110085	28.02.2020/ 02.05.2025	**रु. 3,34,76,653.73 (रुपये तीन करोड़ चौंतीस लाख छिहत्तर हजार छह सौ तिरेपन और तिहत्तर पैसे मात्र) (ऋण संख्या 700000003501)** 30.04.2025 तक और 01.05.2025 से संबंधित ऋण पर ऊपर निर्दिष्ट अतिरिक्त ब्याज और कोई अन्य लागत, प्रभार, व्यय।

प्रतिभूतित परिसंपत्ति का विवरण

फ्लैट संख्या एफ–247, 9वीं मंजिल पर, न्यू टाउन को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के लेआउट प्लान में स्थित, प्लॉट संख्या डी 3 पर निर्मित, जिसे अंतरिक्ष अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, सेक्टर XIV एक्सटेंशन, रोहिणी नई दिल्ली–110085, क्षेत्रफल: सुपर एरिया 1450 वर्ग फीट, मालिक: कांता रानी मित्तल, संदर्भ: दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित दिनांक 02.01.2018 को हस्तांतरण विलेख और उक्त विलेख सब–रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस में दस्तावेज संख्या 36 के रूप में, बुक संख्या 1, खंड संख्या 6572 में पृष्ठ 52 से 54 पर पंजीकृत है, प्रकार: फ्रीहोल्ड और आवासीय।

हम एतद्द्वारा यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि के साथ उस पर ब्याज के साथ–साथ लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, ऐसा न करने पर हम प्रतिभूति ब्याज को लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन लागत और परिणामों के रूप में पूरी तरह से आपके जोखिम पर सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने और बेचने तक सीमित नहीं है।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को बिक्री, पट्टे या अन्यथा, पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति को असाइनर की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा।

हस्ता/–
दिनांक: 08.05.2025 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान: सोनीपत (हरियाणा) **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ट्रस्ट XIV**

केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd. (Sponsor: CANARA BANK)
CIN : L85110KA1987PLC008699,
केनरा बैंक बिल्डिंग के ऊपर, प्रथम तल, प्लॉट नं, सी–3, सेक्टर–1, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड– 201301
ई–मेल : noida@canfinhomes.com, फोन न. : 0120 – 2970164/65/67, 7625079126

परिशिष्ट–4–क [नियम 9(1) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा केन फिन होम्स लिमिटेड, नोएडा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **श्री विनोद कुमार एवं श्रीमती सोनिया (उधारकर्ता) तथा श्री दलबीर सिंह (गारंटर)**, की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की **07.05.2025** तक बकाया राशि **रु. 34,31,965/– (रुपये चौंतीस लाख इकतीस हजार नौ सौ पैंसठ रुपये मात्र)** उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक **28–05–2025** को ई–नीलामी के आयोजन द्वारा **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य **रु– 7,00,000/– (सात लाख रुपये मात्र)** तथा धरोहर राशि जमा **रु– 70,000/– (सत्तर हजार रुपये मात्र) होगी।**

(अचल सम्पत्ति का वर्णन)

आवासीय फ्लैट संख्या एफएफ–4, पीछे की ओर, प्रथम तल (एलआईजी प्रकार, बिना छत के), प्लॉट संख्या जी–52 और 53, खसरा संख्या 1458, बालाजी एन्क्लेव कॉलोनी हदबस्त गांव–रईसपुर, परगना– डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद
सीमाएँ जी–52 और 53: पूर्व– प्लॉट नंबर जी–48 और 49, **पश्चिम** – सड़क 20 फीट चौड़ी, **उत्तर**– प्लॉट नंबर जी–54, **दक्षिण**– प्लॉट नंबर जी–51
ज्ञात ऋणभार – शून्य
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें केन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx) में उपलब्ध कराई गई हैं।
ई–नीलामी में भाग लेने हेतु लिंक : https://bankeauctionwizard.com

तिथि : 07–05–2025 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नोएडा केन फिन होम्स लिमिटेड

फार्म सं. 1
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ
(क्षेत्राधिकार – उत्तर प्रदेश का भाग)
वसूली अधिकारी का कार्यालय 600/1 यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के पास, लखनऊ–226007

डीआरसी सं.185/2023/आर.ओ.ए

ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 29 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम (2) के तहत नोटिस

केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक)
(एसएमई, बी–117, सेक्टर 18, नोएडा 201301) .... सी.एच. बैंक

बनाम

मेसर्स हर्ष फैबटेक्स एवं अन्य ..न्यायिक देनदार/क्रेडिट देनदार।

सेवा में,
1. **मेसर्स हर्ष फैबटेक्स,** एक साझेदारी संस्था, अपने निम्न साझेदारों के माध्यम से
श्री सुनील सिंह पुत्र श्री दया सिंह
श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी श्री सुनील सिंह
श्री मनवीर सिंह रावत पुत्र श्री बचन सिंह रावत
पंजीकृत कार्यालय: डी–224, सेक्टर–63, नोएडा 201301
फैक्ट्री: एफ–466, सेक्टर–63, नोएडा 201301
2. **श्री अंकित कौशिक पुत्र स्वर्गीय श्री राजवीर कौशिक**
मेसर्स हर्ष फैबटेक्स के पूर्व साझेदार (सेवानिवृत्त)।
पता: निवासी 159, कृष्णा गली नंबर 4, बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली–110032
3. **श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी श्री सुनील सिंह**
मेसर्स हर्ष फैबटेक्स के भागीदार
पता: निवासी डी–198, सेक्टर–47, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर
दूसरा पता: निवासी डी 269, सेक्टर 17, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर
4. **श्री मनवीर सिंह रावत पुत्र श्री बचन सिंह रावत**
मैसर्स हर्ष फैबटेक्स के भागीदार
पता: निवासी मकान नंबर डी 1 ए, 11 श्याम पार्क एक्सटेंशन, ब्लॉक –डी, साहबाबाद, गाजियाबाद (यू. पी.)
5. **श्री सुनील सिंह पुत्र श्री दया सिंह**
मैसर्स हर्ष फैबटेक्स के भागीदार
पता: निवासी: पता: डी–224, सेक्टर–63, नोएडा–201301
दूसरा पता: निवासी: डी–198, सेक्टर–47, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर – 201301
6. **श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन**
पता: निवासी: 48, ब्लॉक 1, चार्मवुड विलेज, फरीदाबाद (हरियाणा)
7. **मेसर्स पुष्पांजलि बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड**
इसके साझेदारों श्री राज सिंह, ओम सिंह, कैलाश यादव और श्री सुशील मेल्ली के माध्यम से,
रजि. कार्यालय: 204–205, द्वितीय तल, मिलाप भवन, बहादुरशाह, जफर मार्ग, नई दिल्ली।
कॉर्पोरेट कार्यालय: ए–30/31, अशोक नगर, गाजियाबाद (यू. पी.)
तीसरा पता: 100 के बेसमेंट, मिलाप भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. **श्री राज सिंह पुत्र श्री भीम सिंह**
मेसर्स पुष्पांजलि बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक
निवासी: ए–30, अशोक नगर, गाजियाबाद (यू. पी.)।

यह सूचित किया जाता है कि **रू.2,95,91,422.10 (दो करोड़ पंचानबे लाख इक्यानबे हजार चार सौ बाईस रुपये तथा दस पैसे मात्र)** की राशि के साथ ही मूल आवेदन पत्र दाखिल करने की तिथि से मासिक शेष के साथ 12.00: प्रति वर्ष की दर से लंबित ब्याज और भावी ब्याज सहितका भुगतान करें, जब तक ऋण पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है और लागत सफल नहीं हो जाती है और प्रमाणपत्र देनदार संख्या 1 से 8 से इसकी वसूली तक संयुक्त रूप से और अलग–अलग लागत के साथ आपके पते के खिलाफ माननीय न्यायाधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 849/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.2022 के अनुसार एकपक्षीय रूप से अनुमति दी जाती है।
आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के बकाया ऋण की वसूली के अनुसार वसूली की जाएगी।
आपको **21/05/2025** को या उससे पहले हलफनामे पर संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
एतद्द्वारा आपको दिनांक **21.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे** निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
उपरोक्त राशि के अलावा आप निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे

लागत का विवरण

आवेदन शुल्क:–	**रु.1,50,010/–**
अधिवक्ता शुल्क:–	**रु.**
विविध खर्च:–	**रु.**
लिपिकीय :–	**रु.**
प्रकाशन प्रभार:–	**रु.**

आज दिनांक 04 मार्च,2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से नोटिस जारी किया गया।

वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय: संख्या 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015
शाखा कार्यालय: एफ–8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर –4, बैशाली, गाजियाबाद–201010

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

सेवा में, 1. श्री रवीन्द्र सिंह 2. सुश्री रचना देवी – दोनों: राम पार्क एक्सटेंशन, हकीकतपुर, लोनी, गाजियाबाद, यू.पी. 201102 जैसाकी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा पारित दिनांक: 10–10–2024 के आदेश के अनुसार, खसरा संख्या 402 एमआई से संबंधित, हदबस्त गांव खानपुर जाब्ती, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय मकान संख्या 28, एरिया माप 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्र के सभी भाग तथाहिस्से की संपत्ति का भौतिक कब्जा मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 03.05.2025 को ले लिया गया है।
एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणकताओं और आम तौर पर जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांक: 08/05/2025 स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी– हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र सं. 14
[विनियम 33(2) देखें]
पंजी. ए/डी, दस्ती द्वारा, इसकी विफलता पर प्रकाशन द्वारा

वसूली अधिकारी–I/II का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

माँग सूचना

ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम 1993 की धारा 25 से 28 तथा आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना

आरसी/1043/2023 01–02–2025

भारतीय स्टेट बैंक
विरुद्ध
श्री राकेश मंगला एस/ओ

प्रति,
(सीडी 1) श्री राकेश मंगला पुत्र श्री राधेश्याम मंगला, निवासी फ्लैट नंबर 1274–ए एलआईजी फ्लैट्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर–29 फरीदाबाद, हरियाणा– 121008, **अन्य पता यहां पर भी :** राकेश मंगला पुत्र राधे श्याम मंगला द्वारा स्टार कनेक्ट, **अन्य पता यहां पर भी :** दुकान नं. 17–18, भूर कॉलोनी, रामा स्वीट रोड, पुराना फरीदाबाद– 121002 हरियाणा, **अन्य पता यहां पर भी :** राकेश मंगला पुत्र राधे श्याम मंगला, **अन्य पता यहां पर भी :** निवासी मकान नंबर 589, सेक्टर– 19, फरीदाबाद– 121004, हरियाणा, फरीदाबाद
(सीडी 2) माया देवी पत्नी श्री राधे श्याम मंगला, निवासी फ्लैट नं. 1274–ए, एलआईजी फ्लैट्स, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर– 29, फरीदाबाद– 121008, हरियाणा, **अन्य पता यहां पर भी :** माया देवी पत्नी राधे श्याम मंगला, **अन्य पता यहां पर भी :** द्वारा स्टार कनेक्ट, दुकान नं. 17–18, भूर कॉलोनी, रामा स्वीट रोड, पुराना फरीदाबाद– 121002, हरियाणा, **अन्य पता यहां पर भी :** माया देवी पत्नी राधे श्याम मंगला, **अन्य पता यहां पर भी :** निवासी– मकान नं. 589, सेक्टर– 19, फरीदाबाद– 121004, हरियाणा

यह अधिसूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा ओए/72/2020 के अंतर्गत पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, बकाया राशि रु. 28,60,764.00 (रुपए अट्ठाईस लाख साठ हजार सात सौ चौंसठ मात्र) का तथा 13/12/2019 से वसूली तक 7: वार्षिक की साधारण ब्याज की दर पर पेंडेंटलाइट व भविष्य का ब्याज और रु. 31,005/– (रुपये इकतीस हजार पांच मात्र) की लागतें आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और अलग–अलग / पूर्ण रूप से / सीमित रूप से) बकाया हो गई है।

2. आपको एतद्द्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा करने में विफल रहने पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय बकाया ऋण वसूली अधिनियम 1993 और उसके अंतर्गत विरचित नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको एतद्द्वारा सुनवाई की अगली तिथि को या उससे पहले एक शपथपत्र पर अपनी परिसंपत्तियों के विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 13/05/2025 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आपको निम्नलिखित का भुगतान भी करना होगा :
(क) प्रमाणपत्र / निष्पादन कार्यवाहियों की इस सूचना के तुरंत बाद आरंभ होनेवाली अवधि के लिए भुगतानयोग्य ब्याज।
(ख) इस सूचना और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की